सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां जिला बारां (राज.

प्रकरण संख्या 4/2016

बउनवान

शम्भूदयाल पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी बडोरा व अचरावा तहसील अटरू जिला बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1— सीताबाई पुत्री नाथूलाल पत्नि भोजराज जाति रेगर निवासी मांगरोल हाल निवासी बडोरा तहसील अटरू जिला बारां

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन अधिनियम 1970
भू आवंटन दिनांक 24.051976 ग्राम बडोरा निरस्त किये जाने बाबत

उपस्थिति :— 1— श्री ओमप्रकाश मेहता ाा अभिभाषक **(प्रार्थी)**
2— श्री सत्येन्द्र शर्मा अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 1)**
3— पेरोकार सरकार **(अप्रार्थी कम 2)**

निर्णय दिनांक 15.03.2017

प्रार्थी द्वारा भू—आवंटन आदेश दिनांक 24.05.1976 से अप्रसन्न होकर विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भू—आवंटन अधिनियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र जर्ये अभिभाषक इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम बडोरा की आराजी खसरा संख्या 1281 रकबा 4.01 बीघा, खसरा संख्या 1282 रकबा 4 बीघा व खसरा संख्या 1320 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा का आवंटन दिनांक 24.05.1976 को नाथूलाल पुत्र पन्नालाल जाति रेगर निवासी बडोरा को किया गया जिसके हाल खसरा नंबर 1388 रकबा 0.78 है. जो खसरा नंबर 1281 से कायम किये गये हैं। भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त आवंटन गलत रूप से किया गया है क्योंकि उस दिन आवंटन के लिये ना भूमि उपलब्ध थी ना ही किसी प्रकार की आमसूचना जारी की गई थी ना पात्रता सूची बनाई गई थी ना कोरम पूर्ण था। आवंटन के लिये अध्यक्ष के अलावा तीन सदस्यों का होना आवश्यक है तथा आवंटन के लिये उद्घोषणा किया जाना नितान्त आवश्यक है। ग्राम बडोरा की आराजी खसरा संख्या 1281 रकबा 4.01 बीघा, खसरा संख्या 1282 रकबा 4 बीघा व खसरा संख्या 1320 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा पर गैरखातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 461 गलत रूप से नाथूलाल के नाम दर्ज किया गया है जबकि ना आवंटन से पूर्व ना आज तक कभी भी उक्त आराजी पर अपने जीवनकाल में नाथूलाल का व उसके देहान्त के बाद उसकी पुत्री सीताबाई का कब्जा नहीं रहा है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि आवंटन के 6 माह में 1/2 हिस्से पर तथा संपूर्ण रकबे पर 2 वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा प्राप्त करना आवश्यक है अन्यथा आवंटन स्वतः ही निरस्तनीय है। ग्राम बडोरा की आराजी खसरा नंबर 1281 रकबा 2.10 बीघा एवं 1282 रकबा 4 बीघा के खातेदार फरियाद अली पुत्र रहमतुल्ला खां थे जिनके द्वारा उक्त आराजीयात का बेचान किया गया जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1281 के 1389 रकबा 0.41 है. तथा 1282 के 1425 रकबा 0.33 है. एवं 1428 रकबा 0.27 है. कायम हुये जो प्रार्थी के पिता छीतरलाल पुत्र उदालाल धाकड़ द्वारा क्रय किये जाने से उसके खातेदारी में थे। उक्त आराजीयात प्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद प्रार्थी व उसके भाई वगैरा के खाते नामान्तरकरण संख्या 993 दिनांक 20.06.2014 से आई। किन्तु सीताबाई जबरन

पुलिस में ढूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर अपने पिता नाथूलाल को हुये आवंटन की आड़ में जिस पर कभी भी कब्जा नहीं रहा तथा जो प्रार्थी के खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी है पर कब्जा करना चाह रही है। आवंटन दिनांक 24.05.1976 या उससे पूर्व या उसके बाद आदिनांक तक कभी भी नाथूलाल एवं उसके देहान्त के बाद उसकी एक मात्र पुत्री सीताबाई का कब्जा नहीं रहा है। उक्त आवंटन की जानकारी सीताबाई द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने तथा जबरन प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने पर दिनांक 07.11.2016 को हुई जिसके आधार पर आवंटन की नकल प्राप्त होने से प्रार्थना पत्र अवधि मध्य पेश है। मियाद के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से संलग्न कर प्रस्तुत है। अतः कार्यवाही प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम बडोरा का नाथूलाल के पक्ष में हुये भू आवंटन दिनांक 24.05.1976 निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज की जावे तथा पुराने कब्जे के आधार पर धारा 20 के तहत प्रार्थी के पक्ष में नियमन किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन आदेश एवं अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थी क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुई। अप्रार्थी क्रम 2 पेरोकार सरकार उपस्थित रहे है।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण एवं पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटन के लिये अध्यक्ष के अलावा तीन सदस्यों का होना आवश्यक है जबकि अपीलाधीन आवंटन आदेश पर अध्यक्ष के अलावा दो ही सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। आवंटी नाथूलाल एवं उसके देहान्त के बाद उसकी एक मात्र पुत्री सीताबाई का उक्त आराजीयात पर कभी कब्जा नहीं रहा है। प्राप्त मूल आवंटन पत्रावली में दखलनामा संलग्न नहीं है। जबकि आवंटन के 6 माह में 1/2 हिस्से पर तथा संपूर्ण रकबे पर 2 वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा प्राप्त करना आवश्यक था ऐसी स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्तनीय है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक प्रार्थी ने विधि दृष्टांत आर. आर.सी. 1993 पृष्ठ संख्या 448 छगनलाल बनाम स्टेट व आर.आर.टी. 2001(2) पृष्ठ संख्या 1410 राजू बनाम आम जनता प्रस्तुत की।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 ने दौराने बहस सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर आपत्ति करते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने 40 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। व्यक्त किया कि ग्राम बडोरा की आराजी ख. सं. 1281 रकबा 4.01 बीघा, ख. सं. 1282 रकबा 4 बीघा व ख. सं. 1320 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा नाथूलाल पुत्र पन्नालाल जाति रेगर निवासी बडोरा को दिनांक 24.05.1976 को आवंटित हुई। आवंटन उपरांत आवंटी नाथूलाल को आवंटित आराजी पर दखल दिया। आवंटित आराजी पर कब्जे काश्त के आधार पर आवंटी नाथूलाल को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये। जिसके प्रमाण स्वरूप नकल खसरा गिरदावरी संवत 2069–2072 दौराने बहस प्रस्तुत की। खातेदार नाथूलाल की मृत्यु उपरांत आवंटित आराजी की एकमात्र खातेदार अप्रार्थी क्रम 1 है। अप्रार्थिया अनुसूचित जाति की गरीब महिला है तथा प्रार्थी अपने प्रभाव से नाजायज अप्रार्थिया की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर आपत्ति करते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने 40 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी का कोई समुचित कारण नही बता पाया है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही कथन किया कि अप्रार्थी

क्रम 2 के पिता को उक्त भूमि का विधिवत आवंटन किया गया है जो भूमि उसके खाते दर्ज होने के कारण प्रमाणित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हम विद्वान अभिभाषक अप्रार्थिया एवं पेरोकार सरकार के तर्कों से पूर्णतया सहमत हैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी का कोई समुचित कारण नही बता पाया है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई 40 वर्ष की देरी को माफ नही किया जा सकता है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से हम यह प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज करना उचित समझते है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तदनुसार यह प्रार्थना पत्र 14 (4) मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां